

फीस जमा करना  
अधिनियम की धारा 6

4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद सहित नगदी में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नांकित शीर्ष में जमा करवाई जायेगी: -

मुख्य शीर्ष	...	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं
उप - मुख्य शीर्ष	...	60 - अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष	...	800 - अन्य प्राप्तियां
उप - शीर्ष	...	86 - शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
विस्तृत शीर्ष	...	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - 60 - अन्य सेवाएं - 800 - अन्य प्राप्तियां - 86 - शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत.

- (2) शुल्क की राशि उप-नियम (1) में संदर्भित शीर्षक में जमा की जाएगी:  
परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्त निकाय आवश्यक शुल्क को अपने द्वारा बनाए गए खातों में जमा करवा सकते हैं ।
- (3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संघ की जानी अपेक्षित है ।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के

लिए आदर्श प्ररूप 'ख' में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा शीघ्रता से आवेदक को सूचित की जाएगी ।

- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसका दी गई सूचना के जारी हाने के बाद पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

#### फीस की प्रमात्र धारा 6 तथा 7

(1) धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ दस रुपए की फीस लगाई जाएगी तथा सामान्यतः अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उस आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि इसमें पांच सौ शब्दों से अधिक दिए गए हैं।

(2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए; तथा

(ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जानी है, तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत प्रभारित की जाएगी।

(3) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) फलोपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए;

(ख) डिस्कट में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए; तथा

(ग) यदि चाही गई सूचना ऐसे स्वरूप की है, जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियम कीमत प्रभारित करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। तथापि, यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्घरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ दो रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी।

(4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है। तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे की अवधि के लिए किया गया है, तो प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए पांच रुपए फीस प्रभारित की जाएगी।”